

**10,000 Fake Doctors Practicing in Kerala State**

5058. SHRI G.M. BANATWALLA :  
SHRI V.S. VIJAYARAGHAVAN :

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government have seen the press reports appearing in the Statesman dated 5 November, 1983 wherein it has been stated that there are more than 10,000 fake doctors who are practicing in the State of Kerala ;

(b) whether fake Doctors have also been found in some other State of the country ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) what action has been taken by Government to stop the practice by fake doctors throughout the country ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) to (d). Cases of unqualified medical practitioners carrying on medical practice have come to notice from time to time. Precise information about the number of such practitioners is not available.

Penal provisions already exist in the Indian Medical Council Act, 1956 as well as in the Indian Medicine Central Council Act, 1970 and Homoeopathy Central Council Act, 1973 to the effect that no person other than a medical practitioner enrolled on the State Medical Register shall practice medicine in any State and any person contravening this provision shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to Rs. 1,000/- or both. The Government of India have advised the State Governments/Union Territories to invoke the penal provisions and to ensure that there is no addition whatsoever of unqualified persons to the stream of practitioners.

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और  
प्रशिक्षण परिषद की स्कूल पाठ्य पुस्तकें

5059. श्री तारिक अनवर : क्या शिक्षा और

संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन० सी० ई० आर० टी०) दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्ष के अक्टूबर, माह के अन्त तक एन० सी० ई० आर० टी० ने कक्षा सात के लिए रेखागणित की पुस्तकें वितरित नहीं की हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या अन्य कक्षाओं के लिए भी एन० सी० ई० आर० टी० की पाठ्य पुस्तकों की भारी कमी है;

(घ) यदि हां, तो इन पुस्तकों के उपलब्ध होने के कारण छात्रों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये इन पुस्तकों की सप्लाई के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या प्रबन्ध किये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का इस मामले की जांच करने और दोषी अधिकारियों, यदि कोई हो, के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :  
(क) जी, नहीं। दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा I से VIII तक के लिए अनुमोदित पाठ्य पुस्तकें दिल्ली पाठ्य पुस्तक ब्यूरो, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली द्वारा प्रकाशित की जाती हैं और उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य पुस्तकों की बिक्री तथा संवितरण नई दिल्ली स्थित सुपर बाजार क्रे सेल्स एम्पोरियम, प्रकाशन प्रभाग द्वारा किया जाता है। 1983-84 के लिए सभी